न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–36/17

01. गजानन्द पुत्र स्व. श्री छुट्टन लाल,
02. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री छुट्टन लाल,
03. मु. ललिता देवी बेवा स्व. श्री छुट्टन लाल, जाति स्वामी निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
04. श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल धर्मपत्नी श्री रामजीलाल, जाति स्वामी निवासी ग्राम जीतपुर तहसील लालसोट जिला दौसा।
05. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री रमेश,
06. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री किशनलाल, पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल, जाति स्वामी निवासी हरवर तहसील आमेर जिला जयपुर।
07. श्रीमती सुमित्रा पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल पत्नी श्री हरिमोहन, जाति स्वामी निवासी ग्राम गेणोली पट्टी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।
08. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल पत्नी श्री संजय स्वामी, निवासी मकान नम्बर 663, गणेगौरी बाजार बोरडी का रास्ता, छोटी चौपड़ के पास जयपुर।
09. लल्लू पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय, जाति स्वामी निवासी कमला नगर चौरडिया पैट्रेल पम्प के पीछे सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

(मृतक दौराने अपील)

9/1. युवराज पुत्र स्व. लल्लू,
9/2. मंजू बेवा जितेन्द्र,
9/3. चेतन प्रकाश पुत्र स्व. जितेन्द्र,
9/4. आशीष पुत्र स्व. जितेन्द्र,
9/5. आकाश पुत्र स्व. जितेन्द्र,
9/6. पूजा पुत्री स्व. जितेन्द्र, जाति स्वामी निवासी कमला नगर चौरड़िया पैट्रोल पम्प के पीछे सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9/7. श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री स्व. लल्लू पत्नी बनवारी लाल, जाति स्वामी निवासी प्लाट नम्बर 13, मंगल विहार कॉलोनी, रामपुरा रोड़ सांगानेर, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती राधा धर्मपत्नी स्व. श्री धर्मदत्त, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली मंदिर कस्बा आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. दीपचन्द पुत्र स्व. श्री मूलचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी मंदिर श्री सीताराम पानो का दरीबा, सुभाष चौक जयपुर।
3. बाबूलाल,
4. ईश्वर लाल पुत्रान स्व. श्री मूलचन्द, जाति ब्राहाम्ण निवासी बडली का मंदिर कस्बा आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपर।

03. मु. ललिता देवी बेवा स्व. श्री छुट्टन लाल, जाति स्वामी निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

04. श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल धर्मपत्नी श्री रामजीलाल, जाति स्वामी निवासी ग्राम जीतपुर तहसील लालसोट जिला दौसा।

05. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री रमेश,

06. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री किशनलाल, पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल, जाति स्वामी निवासी हरवर तहसील आमेर जिला जयपुर।

07. श्रीमती सुमित्रा पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल पत्नी श्री हरिमोहन, जाति स्वामी निवासी ग्राम गेणोली पट्टी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।

08. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल पत्नी श्री संजय स्वामी, निवासी मकान नम्बर 663, गणगौरी बाजार बोरडी का रास्ता, छोटी चौपड़ के पास जयपुर।

09. लल्लू पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय, जाति स्वामी निवासी कमला नगर चौरडिया पैट्रेल पम्प के पीछे सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
(मृतक दौराने अपील)

9/1. युवराज पुत्र स्व. लल्लू,

9/2. मंजू बेवा जितेन्द्र,

9/3. चेतन प्रकाश पुत्र स्व. जितेन्द्र,

9/4. आशीष पुत्र स्व. जितेन्द्र,

9/5. आकाश पुत्र स्व. जितेन्द्र,

9/6. पूजा पुत्री स्व. जितेन्द्र, जाति स्वामी निवासी कमला नगर चौरड़िया पैट्रोल पम्प के पीछे सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9/7. श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री स्व. लल्लू पत्नी बनवारी लाल, जाति स्वामी निवासी प्लाट नम्बर 13, मंगल विहार कॉलोनी, रामपुरा रोड़ सांगानेर, जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती राधा धर्मपत्नी स्व. श्री धर्मदत्त, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली मंदिर कस्बा आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. दीपचन्द पुत्र स्व. श्री मूलचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी मंदिर श्री सीताराम पानो का दरीबा, सुभाष चौक जयपुर।

3. बाबूलाल,

4. ईश्वर लाल पुत्रान स्व. श्री मूलचन्द, जाति ब्राहाम्ण निवासी बडली का मंदिर कस्बा आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः—93/12

1. श्रीमती शान्ती देवी उर्फ मंजू देवी पत्नी स्व. श्री ...

बनाम

01. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. श्री धर्मदत्त शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड़, नई माता के पास आमेर, जिला जयपुर।
02. ईश्वरलाल शर्मा उम्र 48 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड़, नई माता के पास आमेर, जिला जयपुर।
03. दीपचन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली की ढाणी, दिल्ली बईपास रोड, नई माता के पास आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी 260 मंदिर सीतारामजी, पुराना आमेर रोड़ सुभाष चौक, जयपुर।
04. बाबूलाल पुत्र श्री रामकरण, जाति गुर्जर, निवासी ढाणी, भरगडान, ग्राम गोठडा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
05. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री छृट्टन लाल, जाति स्वामी, निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवरामगढ़, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः—28/18

1. श्रीमती शान्ती देवी उर्फ मंजू देवी पुत्री स्व. श्री धर्मदत्त शर्मा धर्मपत्नी श्री सुरेश कुमार शर्मा जाति ब्राहाम्ण, आयु 45 वर्ष, निवासी, ग्राम बिहारीपुर पोस्ट चांदराणा, तहसील व जिला दौसा, राजस्थान।

——अपीलार्थी

बनाम

01. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. श्री धर्मदत्त शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड़, नई माता के पास आमेर, जिला जयपुर।
02. ईश्वरलाल शर्मा उम्र 48 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड़, नई माता के पास आमेर, जिला जयपुर।
03 बाबूलाल पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बडली की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड़, नई माता के पास, आमेर, जिला जयपुर।
04. दीपचन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ली की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, नई माता के पास आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी 260 मंदिर सीतारामजी, पुराना आमेर रोड़ सुभाष चौक, जयपुर।
05. बाबूलाल पुत्र श्री रामकरण, जाति गुर्जर, निवासी ढाणी, भरगडान, ग्राम गोठडा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
06. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री छृट्टन लाल, जाति स्वामी, निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवरामगढ़, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 02.04.2019

अपील संख्या 36/17 एवं 37/17 के अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि कस्बा आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 1004 खसरा नम्बर 4874 रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4875 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4876 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4877 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4884 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4901/9955 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4902 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4903 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4904 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4907/9749 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7103 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7105 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 10062/7104 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 2.76 हैक्टयर तथा हाल खाता संख्या 1077 खसरा नम्बर 4903/9772 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4904/9771 रकबा 0.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4905 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7077 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7078 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7079 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7080 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7081 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7082 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7083 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7084 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7085 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7086 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7087 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7088 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7089 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7090 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7091 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7092 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7093 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7094 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7095 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7096 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7097 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7098 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7099 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7100 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7101 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7102 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 7103/9770 रकबा 0.27 हैक्टयर कुल किता 30 कुल रकबा 6.38 हैक्टयर है। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 1004 की भूमि साबिक खसरा नम्बर 2921 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 2922 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से बने है और खाता संख्या 1077 के उपरोक्त खसरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बर 2923/1 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा से बने है, उक्त साबिका खसरा नम्बर 2921 व 2922 तथा 2923/1 प्रथम बन्दोबस्त सम्वत् 1987 की मिसल हकीयत के खसरा नम्बर 2777 रकबा 60 बीघा से बने है, अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी श्री चतरूदास चेला मंगलदास कौम ब्राहाम्ण की खातेदारी की भूमि थी और अवधि सम्वत 1987 की मिसल हकीयत में श्री चतुरदास चेला मंगलदास कौम ब्राहाम्ण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि श्री चतरूदास चेला मंगलदास का स्वर्गवास सम्वत् 1991 में हो गया और उनका लड़का सरजूदास उर्फ सूरजनदास खातेदार कृषक हुआ, सरजूदास उर्फ सुरजनदास का स्वर्गवास दिनांक 26.01.1951 को हो जाने पर उनके तीनों लड़के हनुमान सहाय, बद्रीनारायण छुट्टन लाल खातेदार कृषक हुऐ, सरजूदास का पुत्र श्री बद्रीनारायण दिनांक 22.01.1979 को लाअौलाद ही फौत हो गया इसलिये हनुमान सहाय एवं छुट्टन ही

लछमी, सन्तोष सुमित्रा खातेदार हुऐ, हनुमान सहाय की बेवा चौगानी देवी फौत हो जाने एवं पुत्री प्रेमदेवी के फौत हो जाने के कारण भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलार्थी संख्या 9 लल्लू तथा छुट्टन लाल के फौत हो जाने के कारण भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार कृषिक ललिता देवी धर्मपत्नी छुट्टन लाल, गजानन्द, प्रहलाद पुत्रान छुट्टन लाल तथा श्रीमती मुन्नी, कमला, लछमी, संताष, सुमित्रा पुत्रियॉ छुट्टन लाल अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 8 खातेदार कृषक हुऐ जो भूमि विवादग्रस्त पर साधिकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्री ईश्वरलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के पूर्व खातेदार स्व. श्री मूलचन्द स्वामी, स्व. श्री रामेश्वरदास चेला सरजूदास उर्फ सूरजदास चेला चतरूदास उर्फ चतरदास व स्व. श्री मांगीलाल पुत्र बंशीधर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उनके देहान्त हो जाने के पश्चात् वारिसों में से श्रीमती लालीदेवी, श्रीमती तुलसीदेवी पुत्रीयान मूलचन्द ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने सगे भाईयों रेस्पोडेन्ट के हक में कर दिया है और श्रीमती दुर्गादेवी पुत्री स्व. श्री मांगीलाल स्वामी ने हकत्याग रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कर दिया है, अब उक्त हकत्यागो के आधार पर रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तरकण तस्दीक किया जावें, उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार आमेर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज कर समस्त रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र लेकर दिनांक 19.03.2012 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया गया कि रामेश्वर चेला सरजूदास, हनुमान, प्रभूनारायण, रामेश्वर पुत्रान स्व. श्री मांगीलाल के नाम से राजस्व भूमि अभिलेखों में दर्ज भूमि का फौतगी नामान्तरकरण संयुक्त रूप से उनके प्राकृतिक वारिसान श्रीमती राधादेवी धर्मपत्नी स्व. श्री धर्मदत्त, बाबूलाल शर्मा, ईश्वरलाल, दीपचन्द पुत्रान स्व. श्री मूलचन्द निवासी ग्राम बडली का मंदिर आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर के नाम खोले जाने के आदेश दिनांक 19.03. 2012 को पारित फरमा दिया गया और उक्त एकतरफा आदेश की क्रियान्विति में तहसीलदार आमेर ने नामान्तरकरण संख्या 1303 दिनांक 29.03.2012 को तस्दीक कर दिया गया जिससे भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थीगण के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होते है और इसलिये उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नही किया गया, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को ना ही पक्षकार बनाया और ना ही मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई जबकि अपीलार्थीगण भूमि विवादग्रस्त पर साधिकार काबिज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पणतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय

फोटो प्रति भी अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 21.07.2009 को दिये गये रजिस्टर्ड पत्र के साथ संलग्न कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई थी जिस पर न्यायिक विवेक लगाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 106/2008 में अपीलार्थी संख्या 9 व उनकी माता स्व. श्रीमती चौगानीदेवी के द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा 151 प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 09.08.2010 को खारिज फरमा दिया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी संख्या 9 व उनकी माता स्व. श्रीमती चौगानीदेवी के द्वारा एक निगरानी याचिका संख्या 5284/2010 एल.आर. एक्ट/जिला जयपुर उनवानी लल्लूलाल व अन्य बनाम बाबूलाल व अन्य प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 27.07.2011 को निर्णय पारित करते हुये निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी संख्या 9 व उनकी माता श्रीमती चौगानीदेवी को पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नम्बर 12126/2011 उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व अन्य प्रस्तुत की गई फिर भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर के समक्ष झूठे एवं उपरोक्त वर्णित वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आधार बनाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील आपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निणर्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर दिनांक 19.03.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 1303 पर पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील संख्या 93/12 एवं 28/2018 के अधिवक्ता ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है क अपीलार्थीया श्रीमती शान्तीदेवी के पिता स्व. श्री धर्मदत्त शर्मा थे जिसकी मृत्यु दिनांक 20.03.1963 को हुई थी उसकी मुत्यु के समय अपीलार्थीया लगभग 6 माह की थी और अपनी माता राधादेवी के पालन पोषण व संरक्षण में थी, अपीलार्थीया का का विवाह श्री सुरेश कुमार शर्मा के साथ ग्राम बिहारीपुरा जिला दौसा में हुआ है इसलिये जब अपीलार्थी अपने ससुराल में रहती है और अपनी माता के पास अपने पीहर में आती जाती रहती है तथा अपीलार्थीया एक मात्र पुत्री होने के कारण अपीलार्थीया ने अपील पेश की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 एवं दिनांक 29.03.2012 पारित करते समय तहसीलदार ने यह भूल की है कि अपीलार्थीया जो स्व. श्री धर्मदत्त शर्मा की सन्तान एक पुत्री वारिस थी उसके हक में नामान्तरकरण नही खोला गया त्रुटिवंश अपीलार्थी के पिता का हिस्सा केवल अपीलार्थीया की माता श्रीमती राधादेवी के हक में कर दिया गया, पहले से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की को माता राधा देवी जो कि प्रत्यर्थी है वह स्वीकृति दे चुकी है कि प्रत्यर्थी के साथ प्रत्यर्थी की पुत्री का नाम जोड दिया जावे इसमें

प्रत्यर्थी संख्या 1 राधादेवी है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीया की माता प्रत्यर्थी राधादेवी के साथ–साथ अपीलार्थीया के नाम भी आधे हिस्से का नामान्तरकरण खोलने का आदेश किया जावें तथा यह भी आदेश दिये जावे कि नामान्तरकरण संशोधित करते हुये धर्मदत्त शर्मा 1/4 हिस्से के आधे–आधे हिस्से की मालिक हिस्सेदार के रूप में अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी राधादेवी के नाम नामान्तरकरण खोला जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बाबूलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ईश्वरलाल ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट गजानन्द द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 165/2012 एवं 166/12 को न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 17.12.2013 को द्वारा स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी संख्या 3 व 4 ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 7230/2013 एवं 7233/13 तथा श्रीमती राधा बेवा धर्मदत्त ने अपील संख्या 7203/2013 एवं 7205/2013 दायर की थी, न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 13.01.2017 के द्वारा विपक्षीगण संख्या 3 व 4 तथा श्रीमती राधा द्वारा दायर उक्त अपील को स्वीकार कर न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 17.12.2013 को निरस्त कर प्रकरण पुनः श्रीमान के समक्ष रिमाण्ड किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी कुल किता 45 रकबा 59 बीघा 16 बिस्वा जिसकी वर्तमान खाता संख्या 1004 (नया खाता संख्या 912) कुल किता 15 कुल रकबा 2.79 हैक्टयर एवं वर्तमान खाता संख्या 1077 (नया खाता संख्या 983) कुल किता 30 रकबा 6.38 हैक्टयर जो कि ग्राम आमेर तहसील आमेर में स्थित है एवं जिसके समस्त खसरा नम्बरान का विस्तृत उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित है, उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार सरजूदास चैला चतरूदास उर्फ चतरदास, मूलचन्द, प्रभूनारायण, रामेश्वर, हनुमान, शंकर, पन्नालाल पुत्रान मांगीलाल, जाति गौड़ ब्राहाम्ण (स्वामी) थे। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 26.05.1949 के तहत सूरज उर्फ सरजूदास चेला चतरू उर्फ चतरदास के पक्ष में खातेदारी इन्द्राज करने के आदेश पारित हुऐ थे तदानुसार सूरज उर्फ सरजूदास के अविवाहित फौत होने पर रामश्वेरदास जो उनके सगे छाटे भाई थे, के पक्ष में मातमी आदेश दिनांक 03.11. 1958 को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित किये गये, इस आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 04.02.1970 को रामेश्वरदास चेला सरजूदास उर्फ सूरज दास के पक्ष में तहसीलदार आमेर द्वारा स्वीकृत किया गया, उक्त आदेशों की मूल प्रमाणित प्रतियॉ न्यायालय तहसीलदार आमेर के निर्णय दिनांक 19.03.2012 के साथ संलग्न है, जो रिकार्ड पर उपलब्ध है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि स्व. श्री गंगाराम उर्फ गंगादास स्वमी निवासी बडली का मंदिर नई माता कस्बा आमेर मे गंगाराम उर्फ गंगादास स्वामी जिनका सजरा लिखित बहस में अंकित है। उक्त सजरा खानदान एवं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 26.05.1949 एवं 03.11.1958 तथा तहसीलदार तहसील आमेर का नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 04.02.1970 में उल्लेखित तथ्यों से भली भांति स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी में

जयपुर के समक्ष 38 साल बाद दिनांक 21.04.2008 को छुट्टन लाल की ओर से पेश की गई तथा दौराने अपील लगभग 2 वर्ष पश्चात् अर्थात दिनांक 15.12.2009 को हनुमान सहाय के पुत्र लल्लू की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया जिसे न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 09.08.2010 के द्वारा खारिज कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध लल्लू द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सक्षम निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिस पर राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2011 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी. पी.सी. स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध वर्तमान विपक्षीगण की ओर से एक रिट याचिका संख्या 12126/2011 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने विपक्षीगण (बाबूलाल, ईश्वरलाल वगै.) के पक्ष मे स्थगन आदेश जारी करते हुए राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 27.07.2011 को स्टे किया हुआ है। उन्होने कथन किया है कि अपीलकर्ता ने अपनी प्रस्तुत अपील मे उक्त वाद संख्या 106/2008 दायर करने के तथ्य को तो स्वीकार किया है, किन्तु जानबुझकर जारी उक्त स्टे का उल्लेख नही किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी से कोई हक सम्बन्ध व लेना–देना नही है, अपीलार्थीगण अपने आपको जिस सूरज उर्फ सरजूदास पुत्र चतरूदास का वारिस बताते है वह कोई दीगर व्यक्ति था, वह सूरज उर्फ सरजूदास चेला चतरू उर्फ चतरदास न होकर एक सूरजनदास पुत्र रामदास था, अपीलार्थी न केवल मिलते–जुलते नाम का बेंजा व गलत फायदा उठाकर झूठा व मनगढन्त सारहीन अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की है, उपरोक्त तथ्य की पुष्टि इस आधार पर हुई है कि जब उक्त छुट्टन लाल ने फर्जकारी करते हुऐ एवं स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के बावजूद भी किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष मे आराजी का एक इकरारनामा वसीयत पावर ऑफ अटोर्नी कर दिया तथा जब विपक्षीगण को इस तथ्य की जानकारी हुई तो उन्होने छुट्टन लाल व अन्य के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 66 दिनांक 02.03.2009 को थाना आमेर में दर्ज कराई जिस पर छुट्टन लाल को गिरफ्तार किया गया एवं उसकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2009 एवं 20.10.2009 को आदेश के द्वारा खारिज कर दी गई एवं बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार जमानत खारिज करते हुऐ पुनः जमानत पर छोड़ दिया है, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में सक्षम न्यायालय (सी.जे.एम.) जयपुर नार्थ में छुट्टन लाल क विरूद्ध चालान संख्या 20090515 दिनांक 17.12.2009 को पेश हो चुका है, उक्त प्रकरण में जॉच होने पर यह स्पष्ट हो गया कि सूरज उर्फ सरजूदास चेला चतरू उर्फ चतरदास जिनके वारिसान वर्तमान विपक्षीगण अविवाहित थे जबकि अपीलार्थीगण के स्वंय के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में यह उल्लेखित है कि सूरजनदास, रामदास का पुत्र था अपीलार्थीगण के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि सुरजनदास जिसके की वारिसान अपीलार्थीगण आपने आपको बताते है, अविवाहित नही था बल्की उसके तीन पुत्र हनुमान सहाय, बद्रीनारायण व छुट्टनलाल थे। उन्होने कथन किया है कि इन्ही सरजनदास का यही नाम ग्राम सारापुरा पंचायत समिति एवं तहसील जमवारामगढ

1958 के अनुसार दिनांक 10.04.1955 को हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इतने तथ्यों के होते हुए भी छुट्टन लाल के वारिसों (अपीलार्थीगण) ने एक झूँठा एवं आधारहीन वाद दिनांक 09.08.2012 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा का स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार बताते हुऐ प्रस्तुत कर दिया है एवं साथ ही न्यायालय तहसीलदार आमेर के निर्णय दिनांक 19.03.2012 के विरूद्ध अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश कर दी गई है, जो आधारहीन होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि विपक्षीगण के खानदान में गुरू चेला परम्परा रही है जो एक व्यक्ति चेला बनता है उसे आजीवन ब्राहमचारी रहना होता है, इसी परम्परा में मंगलदास का चेला चतरू उर्फ चतरदास बना है तथा सजरा खानदान में सालगराम जी के दो पुत्र गंगाराम एवं मंगलदास हुऐ, मंगलदास जो अविवाहित थे का चेला चतरू उर्फ चतरदास बना, चतरू उर्फ चतरदास के पिता का नाम गंगाराम था, चतरूदास का चेला सूरज उर्फ सरजूदास बना, सूरज उर्फ सरजूदास का चेला रामेश्वरदास बना और चतरू उर्फ चतरदास के पिता श्री गंगाराम गौड ब्राहाम्ण स्वामी थे एंव सूरज उर्फ सरजूदास के पिता का नाम मांगीलाल गौड़ ब्राहाम्ण स्वामी था, सरजूदास के सगे छोटे भाई रामेश्वरदास पुत्र मांगीलाल थे उनके विपक्षीगण जायन्दा वारिसान है। इसलिये विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत दर्ज कर एवं विस्तृत जांच कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई हैं, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिविक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि वादगस्त आराजी खसरा नम्बर के खातेदार स्व0 मूलचन्द स्वामी, रामेश्वरदास चेला सूरज उर्फ सरजूदास चेला चतरू उर्फ चतरदास व स्व. मांगीराम पुत्र बंशीधर है जिनके देहान्त के बाद इनके वारिसान मे राधा बेवा धर्मदत्त, बाबूलाल, ईश्वर व दीपचन्द पुत्रान स्व. मूलचन्द स्वामी, लाली, तुलसी पुत्रीयॉ स्व0 मूलचन्द स्वामी है इनमें से लाली व तुलसी ने अपने हिस्से का हकत्याग अपने भाईयों अप्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया जो सब रजिस्ट्रार आमेर के यहॉ दिनांक 10.07.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या–396 पृष्ठ संख्या–90 क्रम संख्या 2009064002037 पर दर्ज है जैसा कि उल्लेखित किया जा चुका है कि स्व. मांगीलाल के नो सन्तान हुई थी इनमें केवल मूलचन्द व दुर्गा तथा जमना ही विवाहित थे बाकी सभी छः पुरूष सन्तान अविवाहित ही फौत हुए थे, जमना भी विवाहित फौत हो गई थी, अतः जीवित दुर्गा ने अपने हिस्से का हक त्याग विपक्षीगण के पक्ष में सब रजिस्ट्रार जयपुर के समक्ष कर दिया जो उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहॉ दिनांक 08. 07.2009 को पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–601 में पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 2009052003901 पर अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है, न्यायालय तहसीलदार आमेर ने समस्त दस्तावेजों, अप्रार्थीगण के कलमबद्ध बयान, पटवारी हल्का रिपोर्ट, पार्षद वार्ड संख्या 53 आमेर द्वारा जारी

किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 एवं 29.03.2012 को चैलेन्ज केवल इस आधार पर किया गया है कि तहसीलदार आमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया गया जबकि अपीलार्थीगण गजानन्द वगैरहा ने तहसीलदार आमेर को कथित पंजीकृत पत्र पूर्व में भेजा था हालाकि रिकार्ड पर इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, इस सम्बन्ध में कथन है कि अपीलार्थीगण या उनके किसी पूर्वज का आराजी खसरा वादग्रस्त भूमि से कभी कोई हक, हकूक या सम्बन्ध नही रहा, ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट गजानन्द वगैरहा कर जब वादग्रस्त आराजी में कोई लोकस स्टेण्डाई ही नही है तो उनको नोटिस भेजना या उनको सुनवाई का मौका देने का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं आधारों से यह भंली–भांति स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की अपीलें विधि विरूद्ध, सारहीन एवं डि–वोईड ऑफ मेरिट होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट् अपने आपको चतरूदास चेला मंगलदास के चेला सरजूदास उर्फ सरजनदास के वारिसान होकर आये है जबकि अपीलान्ट्स द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी कभी सरजूदास उर्फ सरजनदास के नाम राजस्व रिकार्ड में कभी दर्ज रही हो जबकि संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2024–2026 एवं नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 04.02.1970 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है किं उक्त वादग्रस्त आराजी सरजुदास चेला चतरूदास, मूलचन्द, प्रभूनारायण रामेश्वर, हनुमान, शंकर पन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति स्वामी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। ऐसे में यदि अपीलान्ट्स के वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के कोई हक, हकूक अधिकार निहित है तो इसके लिये तो उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद से ही अपने हक, हकूक, अधिकारों की घोषणा के लिये चाराजोही करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की चारों अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 1303 पर पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर